

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 वित्तीय निगम,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 सह एन0आर0आई0 अनुभाग

लखनऊ:दिनांक 02 नवम्बर, 2015

विषय: अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निराकरण हेतु नवगठित एन.आर.आई. विभाग (कोड संख्या-93) के कार्यों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में एन.आर.आई. सेल की स्थापना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1098/बीस-1-ई-2014-यू0ओ0-143/14 दिनांक 10 जुलाई, 2014 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-1123/बीस-1-ई-2014-603(47)/टी0सी0-15, दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उ0प्र0 शासन के अधीन अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निराकरण हेतु एन0आर0आई0 विभाग(कोड संख्या-93) का गठन किया गया। तत्क्रम में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1612/बीस-1-ई-2014-यू0ओ0-225/14 दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा एन0आर0आई0 विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु एक स्वतंत्र अनुभाग-एन0आर0आई0 अनुभाग का गठन करते हुए एन0आर0आई0 अनुभाग में सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया गया है। शासन के कार्यालय - ज्ञाप संख्या-सी0एम035/93 (एन0आर0आई0)-6-15-04एन0आर0आई0/2014 दिनांक 05-05-2015 द्वारा नवगठित एन0आर0आई0 विभाग के लिए अनुमोदित कार्यों को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा नवगठित एन0आर0आई0 विभाग के कार्य-संचालन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं:-

(1) एन0आर0आई0 विभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को संचालित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ स्थित एन0आर0आई0 सेल को "प्राधिकृत-संस्था" नामित किया जाता है। एन0आर0आई0 सेल की शाखाएं आवश्यकतानुसार विभिन्न जनपदों में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में खोले जाने पर सहमति प्रदान की जाती है।

(2) नवगठित एन0आर0आई0 विभाग के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु प्रतिवर्ष आवण्टित की गयी बजट धनराशि अनुदान के रूप में है। अतः उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के एन0आर0आई0 सेल के पक्ष में यह धनराशि अवमुक्त की जाएगी तथा यह बजट धनराशि एन0आर0आई0 सेल के निर्वर्तन पर होगी।

(3) एन0आर0आई0 सेल द्वारा प्राधिकृत संस्था के रूप में प्रदत्त जिम्मेदारी का वहन करने हेतु एन.आर.आई. सेल को कुल अवमुक्त बजट का मात्र 02 प्रतिशत का आनुषंगिक व्यय इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाएगा कि प्राधिकृत संस्था एन.आर.आई. विभाग के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अतिरिक्त एन.आर.आई. विभाग की कोई भी धनराशि अपने संस्थागत कार्यों/मदों हेतु व्यय नहीं करेगी।

(4) उत्तर प्रदेश में एक माइग्रेंट रिसोर्स सेन्टर (एम0आर0सी0) की विधिवत स्थापना-लखनऊ में किए जाने पर सहमति प्रदान की जाती है। जिनकी संख्या बाद में यथावश्यकता बढ़ सकती है।

(5) पूर्व में उद्योग बन्धु में एन.आर.आई. सेल (अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ) के गठन विषयक शासनादेश संख्या-79(1)/77-6-14-50(एम)/13 दिनांक 24-01-2014 को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी किया जाता है।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

संख्या- 125(1)/93-6-15-04(एन0आर0आई0)/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक/न्याय/एन0आर0आई0/औद्योगिक विकास/गृह(बीजा)/सचिवालय प्रशासन/पर्यटन/संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9- अधिशासी निदेशक/संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 10- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 11- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 12- सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 13- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, एन0बी0सी0सी0 पैलेस, यू0जी0एफ0, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 ।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 15- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन (अशासकीय पत्र संख्या-4/2/19/2015-5-सी0एक्स0(1) दिनांक 23-10-2015 के संदर्भ में)
- 16- मुख्य प्रबन्धक एवं इन्चार्ज, एन0आर0आई0 सेल उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
- 17- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
- 18- नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)

विशेष सचिव,

एन0आर0आई0 विभाग।